



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

गुरुवार 27 बैशाख, शक संवत्, 1923
(दिनांक : 17 मई, 2001)
समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

- 1— अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी (क))
- 2— सदस्यों की गिरफ्तारी, निरुद्धीकरण व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों ।
- 3— मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों ।
- 4— विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों ।
- 5— उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम-315 के खण्ड (23) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणाएँ यदि कोई हों,
(कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी (ख))
- 6— कार्यस्थगन का प्रस्ताव यदि कोई हो ।
- 7— वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान :—
 - 1— पर्यटन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26, पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 264658 हजार (छब्बीस करोड़ छियालिस लाख अठ्ठावन हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

2— उद्योग मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-23, उद्योग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 205332 हजार (बीस करोड़ तिरपन लाख बत्तीस हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

3— श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-16, श्रम एवं रोजगार के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 194824 हजार (उन्नीस करोड़ अड़तालीस लाख चौबीस हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

4— कृषि मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-17, कृषि कर्म एवं अनुसंधान के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 1310179 हजार (एक अरब इकत्तीस करोड़ एक लाख उन्यासी हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

5— सहकारिता मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-18, सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 147704 हजार (चौदह करोड़ सतहत्तर लाख चार हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

6- पशुपालन मंत्री श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करेंगे कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-28, पशुपालन के अन्तर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रुपये 431198 हजार (तिरालिस करोड़ ग्यारह लाख अठानवे हजार) रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

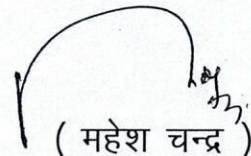
(अनुदान की राशि में कमी करने के प्रस्ताव के लिए देखिए नत्थी (ग))

- 8- रूड़की विश्वविद्यालय में पिछड़ा वर्ग व महिला आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों को वंचित करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में श्री मुन्ना सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य।
- 9- जनपद हरिद्वार के अनेक ग्रामों में महामारी का प्रकोप तथा स्वास्थ्य विभाग में टीके की वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के सम्बंध में श्री राम सिंह सैनी, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य।
- 10- नियम-103 के अन्तर्गत डा0 इन्दिरा हृदयेश सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा।
"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में कार्यरत सरकारी एवं गैरसरकारी शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, पद से पद की समानता, के आधार पर वेतनमान अनुमन्य किए जाएँ।"
- 11- नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ, यदि कोई हों।

देहरादून।

दिनांक : 17 मई 2001

आज्ञा से,


(महेश चन्द्र)
सचिव



उत्तरांचल विधान सभा

द्वितीय सत्र 2001, का
तीसरा गुरु

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची गुरुवार 27 बैशाख, शक संवत्, 1923 (दिनांक : 17 मई, 2001) समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न नत्थी (क)

—: तारांकित प्रश्न :—

श्री राम सिंह सैनी
22-3-2001

- * 1— क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल प्रदेश में जड़ी-बूटी की खेती को प्रोत्साहित करने की कोई योजना शासन के अधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

3सरे शुक्र के
तारा. 5 में स्था.

श्री अम्बरीष कुमार
19-4-2001

- * 2— क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पंचायत की बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के उपस्थित रहने का प्रावधान है ? यदि हां, तो किन-किन विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के उपस्थित रहने का प्रावधान है ? क्या नियमानुसार ऐसे अधिकारी अपने स्थान पर किसी कनिष्ठ अधिकारी को भेज सकते हैं ? यदि नहीं, तो पर्याप्त कारण के अभाव में अनुपस्थित ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती
राज

नृत्थी-ख

कार्यसंरपा सभिति ने अपनी बैठक दिनांक 16-5-2001 में सदन का दिनांक 17-5-2001 से 18-5-2001 तक का कार्यक्रम निम्नवत् रखे जाने की सिफारिश की है :-

मई, 2001

17, गुरुवार

1-26- पर्यटन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।

2-23- उद्योग विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।

3-16- श्रम एवं रोजगार विभाग की मांग पर चर्चा एवं मतदान।

4- माननीय कृषि मंत्री से सम्बद्ध विभाग

§क§-17- कृषि, कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।

§ख§-18- सहकारिता विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।

§ग§-28- पशुपालन सम्बन्धी कृषि कार्य विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान।

5- डा0 इन्दिरा हृदयेश, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम- 103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण:
"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी शिक्षकों एवं शिक्षापेत्तर कर्मचारियों को, पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप, पद से पद की समानता के आधार पर वेतनमान अनुमन्य किये जाएँ।"

18, शुक्रवार

1- माननीय मुख्यमंत्री से सम्बद्ध विभाग

§क§-25- खाद्य विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान

2- गा0 वित्त मंत्री से सम्बद्ध विभाग

§क§-06- राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान। §विवाद नहीं होगा§

§ख§-07- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा एवं मतदान

§विवाद नहीं होगा§

- 3- शेष विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।
- 4- उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2001 का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण । §मा० वित्त मंत्री§
- 5- अंतरकारी दिवस ।
- 6- पर्वतीय क्षेत्र में दिनांक 6 मई, 2001 को भारी ओलावृष्टि से पसल को हुई क्षति के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ सिंह चौहान, श्री भारत सिंह रावत एवं श्री बिशन सिंह चुफाल द्वारा नियम- 52 के अन्तर्गत चर्चा।
- 7- राष्ट्रगान।



नत्थी (ग)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की धनराशि में कमी करने के प्रस्ताव

अनुदान संख्या :- 26 पर्यटन।

प्रस्तावक का नाम

श्री काजी मो० मोइउद्दीन
श्री अम्बरीष कुमार
श्री मुन्ना सिंह चौहान
श्री राम सिंह सैनी
डा० इन्दिरा हृदयेश
श्री इशम सिंह

प्रस्ताव का रूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन
मांग की राशि घटाकर एक
रूपया कर दी जाए।

कमी करने का उद्देश्य
विभागीय नीति की आलोचना
तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या :- 23 उद्योग विभाग।

प्रस्तावक का नाम

श्री काजी मो० मोइउद्दीन
श्री अम्बरीष कुमार
श्री मुन्ना सिंह चौहान
श्री राम सिंह सैनी
डा० इन्दिरा हृदयेश
श्री इशम सिंह

प्रस्ताव का रूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन
मांग की राशि घटाकर एक
रूपया कर दी जाए।

कमी करने का उद्देश्य
विभागीय नीति की आलोचना
तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या :- 16 श्रम एवं रोजगार।

प्रस्तावक का नाम

श्री काजी मो० मोइउद्दीन
श्री अम्बरीष कुमार
श्री मुन्ना सिंह चौहान
श्री राम सिंह सैनी
डा० इन्दिरा हृदयेश
श्री इशम सिंह

प्रस्ताव का रूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन
मांग की राशि घटाकर एक
रूपया कर दी जाए।

कमी करने का उद्देश्य
विभागीय नीति की आलोचना
तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या :- 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान।

प्रस्तावक का नाम

श्री काजी मो० मोइउद्दीन
श्री अम्बरीष कुमार
श्री मुन्ना सिंह चौहान
श्री राम सिंह सैनी
डा० इन्दिरा हृदयेश
श्री इशम सिंह

प्रस्ताव का रूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन
मांग की राशि घटाकर एक
रूपया कर दी जाए।

कमी करने का उद्देश्य
विभागीय नीति की आलोचना
तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या :- 18 सहकारिता।

प्रस्तावक का नाम

श्री काजी मो० मोइउद्दीन
श्री अम्बरीष कुमार
श्री मुन्ना सिंह चौहान
श्री राम सिंह सैनी
डा० इन्दिरा हृदयेश
श्री इशम सिंह

प्रस्ताव का रूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन
मांग की राशि घटाकर एक
रूपया कर दी जाए।

कमी करने का उद्देश्य
विभागीय नीति की आलोचना
तथा सुझाव देना।

अनुदान संख्या :- 28, पशुपालन।

प्रस्तावक का नाम

श्री काजी मो० मोइउद्दीन
श्री अम्बरीष कुमार
श्री मुन्ना सिंह चौहान
श्री राम सिंह सैनी
डा० इन्दिरा हृदयेश
श्री इशम सिंह

प्रस्ताव का रूप

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन
मांग की राशि घटाकर एक
रूपया कर दी जाए।

कमी करने का उद्देश्य
विभागीय नीति की आलोचना
तथा सुझाव देना।